

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

सं० - 1883/रा० डी० एल० ए० समस्तीपुर

दिनांक 24-07-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम कल्याणपुर बमैया चादर नं०-3, परगना-सरैया, थाना-दलसिंहसराय, थाना नं०-08, जिला-समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् वरूणापुल से रसियारी पथ राज्य उच्च पथ सं०-88 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम कल्याणपुर बमैया चादर नं०-3 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश 1.0855 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं० अंश 8504, 8502, 8500, 9925, 9926, 8803, 8804, 8578, 8581, 8582, 8585, 8586, 8590, 5195, 5199, 5200, 5202, 5223, 5221, 5214, 5216, 5211, 5212, 5559, 5555, 5557, 5542, 5541, 5539, 5534 एवं पूर्ण खेसरा सं० 5196, 5197, 5198, 5222, 5220, 5219, 5218, 5217 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-


खण्ड-"अ"	खण्ड-"ब"	खण्ड-"स"
उत्तर :- अंश खेसरा सं० 8804, 8803, 8590, 8586, 8585, 8582, 8581, 8578, 8501, 8502, 8498, 8504	उत्तर :- बस्ती चादर अंश खेसरा 5559, 5555, 5556, 5557, 5542, 5541, 5540, 5539, 5534 एवं मिलान चादर नं०-3	उत्तर :- बस्ती चादर वो अंश खेसरा सं० 5195, 5224 एवं नदी।
पूरब :- सीमा रेखा ग्राम कल्याणपुर चादर नं०-4	पूरब :- सीमा रेखा ग्राम कल्याणपुर चादर नं०-3	पूरब :- नदी
दक्षिण :- अंश खेसरा सं० 8501, 8498, 10302, 9925, 9926	दक्षिण :- एस० एच० 88	दक्षिण :- अंश खेसरा सं० 5195, 5199, 5202, 5221, 5216, 5214 एवं 5211
पश्चिम :- सीमा रेखा ग्राम कल्याणपुर बस्ती।	पश्चिम :- मिलान चादर नं०-3 एवं नदी।	पश्चिम:- सीमा रेखा ग्राम कल्याणपुर चादर नं० 2 एवं मुख्य सड़क एस० एच० 88।


भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाम व काम जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जाएंगे।


यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
 समस्तीपुर।
 17/5


 अपर समाहर्ता,
 समस्तीपुर।


 समाहर्ता
 समस्तीपुर।

201

सरकार के अवर सचिव

-1883/27

ज्ञापांक/डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना / दिनांक-24-07-13

प्रतिलिपि:- (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।

(2) समाहर्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अलगे असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।

(4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

(5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/दलसिंहसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु:- यथोक्त।

6/2
17/7/13
सरकार के अवर सचिव